

कार्यालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

क्रमांक : साशा/कोरोना/2020/ 31081

दिनांक : 22 अप्रैल, 2020


समस्त उपखण्ड अधिकारी
जिला भीलवाड़ा

विषय:- कोविड - 19 वायरस के संक्रमण से बचाव, नियंत्रण एवं सावधानी के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि भीलवाड़ा जिले में नोवल कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमित व्यक्ति चिन्हित होने से कोरोना वायरस के संक्रमण से जिले के नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन एवं लोक शान्ति को खतरा होने के कारण भीलवाड़ा जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र (शहरी एवं ग्रामीण) में भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गयी है।

इस संबंध में स्थानीय कार्यालय से जारी निर्देशानुसार उपखण्ड स्तर पर क्वारंटीन सेंटर का निर्माण किया गया है। तथा उक्त क्वारंटीन सेंटर में रखे गये व्यक्तियों की सूचना प्रपत्र-1 में चाही गई है। अतः उक्त सूचना प्रपत्र-1 में प्रतिदिन सायं 05.00 बजे तक ईमेल pscbhil@gmail.com भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न:- प्रपत्र-1


जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
भीलवाड़ा

प्रतिलिपि सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. अति० मुख्य सचिव महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर
02. प्रभारी अधिकारी वार रूम एवं प्रभारी अधिकारी नियंत्रण कक्ष
03. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाड़ा


जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
भीलवाड़ा

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी.....

उपखण्ड क्षेत्र में क्वारन्टीन सेंटर प्रपत्र-1

दिनांक

क0 सं0	क्वारन्टीन सेंटर का विवरण			क्वारन्टीन सेंटर में आज दिनांक तक क्वारन्टीन किये गये व्यक्तियों का विवरण			उक्त व्यक्ति में बुखार/ सांस लेने में परेशानी है? (हाँ/नहीं)	यदि उक्त व्यक्ति का सैंपल लिया गया है, तो दिनांक लिखे	व्यक्ति यदि किसी ट्रेवल हिस्ट्री अथवा पॉजिटिव रोगी के संपर्क के कारण क्वारन्टीन किया गया है तो लिखे? (ट्रेवल हिस्ट्री / पॉजिटिव रोगी से संपर्क)	विशेष विवरण
	सेंटर का नाम	प्रमारी का नाम	मोबाईल	व्यक्ति का नाम	मोबाईल	व्यक्ति का पता				
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
1.										
2.										
3.										
4.										
5.										

नोट :- उक्त प्रारूप की सूचना संकलित कर प्रतिदिन सायं 5.00 बजे तक ई-मेल pscbhil@gmail.com पर भिजवाई जावे।

हस्ताक्षर उपखण्ड अधिकारी